न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अध्यक्ष महोदय ग्वालियर, बेंच उज्जैन (म.प्र)

प्रकरण क्र.–आर–2071/ I/14 निगरानी

रामबाबु आदि ....याचिकाकर्तागण

विरूद्ध

भुपेन्द्र आदि .... प्रत्यर्थीगण

आवेदन पत्र अर्न्तगत आदेश 41 नियम 19 व सहपठित धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थी याचिकाकर्तागण की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है:–

01. यह कि प्रार्थी याचिकाकर्ता की ओर से उक्त प्रकरण दिनांक 09.07.14 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था व उसके पश्चात प्रार्थी प्रकरण में अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 15.12.15 तक उपस्थित भी हुआ व उसके पश्चात उक्त प्रकरण की पत्रिका उज्जैन बेंच में निर्धारित पेशीयों में रिडर द्वारा न तो लाई गयी थी और न ही प्रकरण किस तिथी को नियत हुआ इसके संबंध मे प्रार्थी को और न ही उनके अभिभाषक को कोई सुचना प्राप्त हुई व प्रकरण की स्थिति आज दिनांक तक प्रार्थी या उसके अभिभाषक को जानकारी में नहीं है जबकि माननीय न्यायालय के रिडर को हस्तलिखित पर्ची देकर प्रकरण की स्थिति जानने हेतु निवेदन भी किया था किन्तु प्रकरण पत्रिका के संबंध में आज दिनांक तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी ।

02. यह कि उक्त कारण से प्रार्थी ने दिनांक 23.12.2016 को उक्त प्रकरण पत्रिका की स्थिति एवं उसे सुनवाई में लिये जाने हेतु प्रार्थी के अभिभाषक ने रिडर महोदय को एक आवेदन इस हेतु प्रस्तुत किया था किन्तु रिडर महोदय द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक को यह जानकारी दी गई थी कि दिनांक 23.11.16 को उक्त प्रकरण प्रार्थी व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

03. यह कि प्रार्थी के उक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 15.12.15 के पश्चात प्रार्थी या उसके अभिभाषक को नही दी गई थी और न ही दिनांक 23.11.16 की पेशी दिनांक प्रार्थी या उसके अभिभाषक को नोट भी कराई थी। व उक्त दिनांक को प्राथी के अभिाषक तराना व शाजापुर न्यायालय में अन्य प्रकरण में पेशी हेतु गए हुए थे इस कारण प्रार्थी के अभिभाषक भी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते थे और न ही प्रार्थी को उक्त दिनांक को कोई सूचना प्राप्त हुई थी ।

04. यह कि प्रार्थी व उसके अभिभाषक उक्त दिनांक 23.11.16 को माननीय न्यायालय के समक्ष की अनुपस्थिति सद्भावीक व मजबुरी वश होकर क्षमा किये जाने योग्य है

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन हे कि प्रकरण को पुनः सुनवाई में लिये जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

इति दिनांक – 23.12.16

प्रार्थी

रामबाबु आदि ....याचिकाकर्ता

द्वारा अभिभाषक
श्रवण कुमार शर्मा, अभिभाषक

Res.No. 9005-PB30/17 उज्जैन

रामकृ / भूपेन्द्र

19.5.2017	आवेदक की ओर से श्री श्रवण कुमार शर्मा अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपालन का कारण समाधानकारक होने से पूर्व प्रकरण समाप्त किया जाता है। इस प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।
	अध्यक्ष